तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय ......दौरे पे...... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-9-24 को पेश हो।	
19-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय ......दौरे पे...... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-12-24 को पेश हो।	
19-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थीगण की ओर से पेश करदे दस्तावेज प्रा० का० किया। उभयपक्ष बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act दि. 16/1/25 को पेश हो। [signature] 19/12/24	
16/01/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी० उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये प्रकरण को निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- [illegible] हल्का [illegible] की [illegible] अनुसार वादग्रस्त [illegible] 6-14 बीघा यानी [illegible] hect [illegible] खातेदार हमीदउल्ला पुत्र शेख महमुद के वारिसान - अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नामा०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	अहलकार के हुक्म में
	स० 160 दिनांक 02/10/1999 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 18 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा हमीदउल्ला खां पुत्र शेरख महमूद खां के नाम दर्ज थी जो विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई थी। आमि० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 18 को प्रार्थी क्रम 1 कन्हैयालाल पुत्र रामलाल एवं प्रार्थी क्रम 2 से 4 के पिता/पति पूरा पुत्र रामलाल द्वारा अप्रार्थीगण के पिता खातेदार हमीदउल्ला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12/07/1982 क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से लगातार शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त चले आ रहे हैं। क्रय के समय राज० fragmention Act 1954 के लागू होने से विक्रय पत्र को प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं हो पाया था। अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर हमीदउल्ला (विक्रेता) का फौती नामा० 160 अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया था जो गलत है क्योंकि राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन द्वारा दिनांक 11/11/1992 से धारा – 42 (क) आर टी० एक्ट एवं preventeion of fragmentateon Act को समाप्त कर दिया था। वर्तमान में धारा 42(क) RT Act के delete होने से preventation of fragmentation Act अप्रभावी [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] प्रकरण प्रथम दृष्टया [illegible] साबित है। [illegible] बहस के [illegible] क्रम 1 से 7 ने उपस्थित [illegible] गुजार [illegible] करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता हमीदउल्ला खां ने वादग्रस्त आराजी का कोई बेचान नहीं किया था। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजिस्ट्री फर्जी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	है जिसके नामा सं० 137 को तहसीलदार पिड़ावा को खारिज कर दिया गया था। आगे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को लेकर एक वाद सं० 945/97 एसीएम कोर्ट झालावाड़ में पेश कर खातेदारी अधिकार चाहे थे लेकिन उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रार्थीगण द्वारा एक केस 618/97 जेएम कोर्ट पिड़ावा में पेश किया था जिसे भी JM court द्वारा दिनांक 26/09/2002 में खारिज कर दिया था। अतः उसी cause of action को लेकर यह प्रा० पत्र पोषणीय नहीं है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार कृषक है जिनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के रजि० विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार हमीदउल्ला पुत्र शेख महमूद द्वारा प्रार्थी क्रम 1 कन्हैयालाल एवं अप्रार्थी क्रम 2 से 4 के पिता/पति क पूरा पुत्र रामलाल को दिनांक 12/07/1982 को बेचान कर कब्जा सौपना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है लेकिन हाल जमाबंदी संवत 2072-75 में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। [illegible] यह आराजी जरिये कीसी न[illegible] सं० 160 दिनांक 02/10/1998 [illegible] दर्ज हुई [illegible] / रजि० विक्रय दिनांक 12/07/1982 [illegible] कब्जा [illegible] दाखला से कराई गई है - पर टिप्पणी करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उचित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनाशि	

नही होगा। ऐसा कोई सक्षम न्यायालय का कोई निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो उक्त रजि० विक्रय पत्र को खारिज करता हो। ग्राम नंगार पटवार हल्का नौलाई के नामा.स० 137 जो कि उक्त रजि० विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया था - को तहसीलदार द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया था कि बेचान prevention of fragmentation act के विरुद्ध है। इसका अंकन JM court के निर्णय दिनांक 26/09/2009 के मद क्रम 7 मे भी किया गया है। उक्त नामा० की अपील किस आधार पर खारिज हुई - यह अपीलीय कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपी में "लेखन के धुंधला व अस्पष्ट होने से" पठनयोग्य नही होने से स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी झालावाड़ के कोर्ट मे पेश वाद स० 945/97 u/s 88, 91, 188 RT Act गुणावगुण पर निर्णीत नही होकर प्रति क्रम 1 हमीदउल्ला खां के फौत होने से उनके कायम मुकामात को रिकार्ड पर लेने का प्रा० पत्र 022R4 CPC को मियाद बाहर without प्रा०पत्र section 5 limitation Act पेश करने पर डिफाल्ट मे abate किया गया था। यह सही है कि धारा - 42(क) आर०टी० एक्ट को विधायिका द्वारा The Rajasthan tenancy (amendment) act द्वारा दिनांक 11.11.1992 ... किया जा चुका है। धारा -42(क) ... उक्त यानी prevention of fragmentation Act के समाप्त होने के बाद दिनांक 02/10/1999 को फौती नामा० 160 तस्दीक किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रथम हव्या न्यायोजित नहीं था। विगत 30-40 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर मौके पर / भौतिक रूप से किसी पक्ष का काश्तकार है - इसके सम्बंध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, गवाही या पड़ौसी काश्तकारों के बयान / शपथपत्र भी पेश नहीं किये गये हैं। रजि० विक्रय पत्र दिनांक 12/07/1982 में विक्रेता द्वारा क्रेतागण को कब्जा सौंपने का अंकन जरूर किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा SDO court Jhalawar में व JM court pidawa में पेश प्रकरणों के खारिज होने का इस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के पोषणीय होने पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्रार्थीगण ने धारा -11 cpc (res-judicata) का कोई प्रा० पत्र पेश नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर, प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये रजि० विक्रयपत्र दिनांक 12/07/1982 की कानूनी वैधता (legal valadity) पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण प्रथम हव्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। (ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम हव्या प्रार्थीगण के पक्ष (रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा के हद तक) में साबित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण खातेदार के रूप में दर्ज हैं लेकिन रजि० विक्रयपत्र दिनांक 12/7/1982 से स्वामित्व व कब्जा प्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है (Signature Not Verified ... 137 खोल कर, खारिज किया गया।) अ... अपने कब्जा काश्त होने का साक्ष्य (documentary or oral) पेश नहीं ... सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों — (i) Balwant Singh Vs Daulat singh (1997) 7 SCC 137, (ii) Suraj Bhan	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	Vs. Financial Commission (2007) 6 SCC 186, (iii) Jitendra Singh V. State of M.P. 2021 SCC online SC 802, (iv) T. Ravi Vs. B. Chinna Narasimha (2017) 7 SCC 342, (v) Suman Verma Vs Union of India (2004) 12 SCC 58, (vi) Municipal Corporation Aurangabad V. State of Maharashtra (2015) 16 SCC 689, (vii) Bhimabai Mahadeo Kambekar Vs. Arthur Import & Export Co. (2019) 3 SCC 191 आदि अभिनिर्धारित किया है कि " mutation entry doesn't confer any right, title or interest in favour of person and the objective is only for fiscal purpose." अतः जमाबंदी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने मात्र से ही स्वामित्व नहीं माना जा सकता है। स्वामित्व के लिए title and possession दोनों का होना आवश्यक है जो प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण को अधिक सुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।
	(स) अपूरणीय क्षति :- रजि० विक्रय पत्र दिनांक 12/7/1982 की legal valadity पर कोई टिप्पणी किये बिना [The Rajasthan tenancy (second amendment) Act - 1992 के परिप्रेक्ष्य में], वादग्रस्त भूमि में से [illegible] रहन, बेचान आदि करने या [illegible] धमकी देने पर खुर्द बुर्द [illegible] आधार पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिंघाना जिला झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	r.w. 0.39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम नगर तह० पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी ख० न० 18 रकबा 6-14 बीघा में से 6-10 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अ[redacted]री पिड़ावा, जिला [redacted] (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner